न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रतलाम (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 47/धारा–144/2021

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, भोपाल दिनांक 07/04/2021 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी निर्देशों के परिपालन में कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी उल्लेखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु मैं, **गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम** एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ***दिनांक 09.04.2021 की सायं 06:00 बजे से दिनांक 19.04.2021 को प्रातः 06:00 बजे*** तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

01. ***दिनांक 09.04.2021 की सायं : 06:00 बजे से दिनांक 19.04.2021 को प्रातः 06:00 बजे*** तक सम्पूर्ण रतलाम जिले में लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेगें तथा अपने घरो में ही रहे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस,बैंक, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि इससे मुक्त रहेंगें।
02. समस्त मेडिकल दुकानें, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एवं पैथेलॉजी लेब प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)
03. पेट्रोल पम्प खोलने की अनुमति रहेगी।
04. कालका माता मंदिर एवं त्रिवेणी पर निराश्रितों को प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
05. लॉकडाउन अवधि मे सभी शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी–कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
06. घर–घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विकेता तथा दुध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु लॉकडाउन अवधि में प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 एवं सायंकाल 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक दुध वितरण करने की अनुमति रहेंगी।
07. लॉकडाउन अवधि के दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड–19 टीकाकरण हेतु अपने नजदीकी केन्द्र पर आने–जाने तथा स्वास्थकर्मी कर्मचारियों आदि को ड्यूटी पर आने–जाने की अनुमति रहेगी।
08. सब्जी एवं फल विकताओं (फेरीवाले) को घर–घर जाकर चलित रूप से विकय करने की अनुमति प्रातः 08:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगी।
09. किराना दुकानों से होम डिलेवरी प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 **बजे** तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक क्रय कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी।
10. गैस एजेंसी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का घर–घर प्रदाय चालू रहेगा, परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे।
11. औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने व उत्तर–पुस्तिका संबंधित विद्यालय में जमा करने के लिए आने–जाने की छूट रहेगी।
12. धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने, आरती/उपासना हेतु अधिकतम दो व्यक्ति को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी ।

निरंतर 02 पर......

8/4/2021

Local E/Dhara 144/R2/Adm/rtm

Scanned with CamScanner

प्रकरण क्रमांक 57/धारा–144/2021

13. न्यूज पेपर वितरण हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक अनुमति रहेगी।
14. समस्त होटल एवं लॉज में ठहरने वाले गेस्ट को केवल रूम में [redacted] भोजन परोसने की अनुमति रहेगी।
15. जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10:00 बजे 01:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से 08:00 बजे तक की अनुमति रहेगी।
16. किसानों को अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु जाने की अनुमति रहेगी।
17. विवाह समारोह में वर–वधू पक्ष एवं व्यवस्था में कर्मचारियों सहित अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति रहेगी, विवाह समारोह में प्रोशेसन व डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
18. केवल आपातकालीन उद्देश्यों के चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत् यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को समाचार पत्रों/इलेक्टॉनिक मीडिया या अन्य माध्यम से की जाए और सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए।

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने–अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश दिनांक 09/04/2021 से लागू होगा ।

8/4/2021

(गोपालचन्द्र डाड)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम
रतलाम, दिनांक 8/04/2021

क्रमांक/439/आर–2/एडीएम/21
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग भोपाल
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज उज्जैन।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, रतलाम रेंज रतलाम की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम।
6. मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे रतलाम।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला रतलाम।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला रतलाम ।
9. नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम।
10. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला रतलाम।
11. आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम।
12. जिला परिवहन अधिकारी जिला रतलाम।
13. लीड बैक मैनेजर जिला रतलाम ।
14. जिला परिवहन अधिकारी जिला रतलाम।
15. लीड बैक मैनेजर जिला रतलाम ।
16. समस्त तहसीलदार एंव कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. समस्त थाना प्रभारी (पुलिस) जिला रतलाम।
18. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर परिषद जिला रतलाम ।
19. पुलिस कन्ट्रोल रूम जिला रतलाम ।
20. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला रतलाम की ओर प्रकाशनार्थ ।

सरल क्रमांक 07 से लगाकर 20 तक की ओर सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8/4/2021

जिला दण्डाधिकारी
जिला रतलाम म0प्र0

Scanned with CamScanner